न्यायालय नायब तहसीलदार(राजस्व) बीकानेर

निर्णय दिनांकः 29.11.19

मिसल नं0ः–30/19

अनवानः– स्टेट जरिये प0ह0 गंगाशहर **बनाम** मूलचन्द भाटी पुत्र श्री दीपाराम जाति माली निवासी सुजानदेसर

निर्णय

आज पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गंगाशहर ने रिपोर्ट (पी 14) प्रस्तुत कर निवेदन किया कि संवत् 2076 में गैर सायल मूलचन्द भाटी पुत्र श्री दीपाराम जाति माली निवासी सुजानदेसर ने सुजानदेसर के खसरा सं0 82 व 56 के तादादी 2000 वर्गफीट क्षेत्रफल में नाजायज रूप से चारदीवारी बना कर राजकीय गैर मुमकिन गोचर भूमि पर अतिक्रमण किया है। संबंधित गैर सायल को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया एवं नियमानुसार तामिल कराया गया। लेकिन गैर सायल की ओर से अधिवक्ता श्री राधाकिशन स्वामी आदि द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की जिसमें उक्त भूमि को ग्राम सुजानदेसर की आबादी भूमि बताया गया। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड मे उक्त भूमि स्पष्टतया गै0मु0 गोचर भूमि है। जिससे साबित होता है कि अतिक्रमी द्वारा गोचर भूमि पर जानबूझ कर अतिक्रमण किया गया है।

गैर सायल मूलचन्द भाटी पुत्र श्री दीपाराम जाति माली निवासी सुजानदेसर ने सुजानदेसर के खसरा सं0 82 व 56 के तादादी 2000 वर्गफीट क्षेत्रफल में नाजायज अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा–91 के प्रावधानों के अनुसार मूलचन्द भाटी पुत्र श्री दीपाराम जाति माली निवासी सुजानदेसर को अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं 2000 वर्गफीट पर भू–राजस्व की रकम रू0 0.02 का 50 गुणा कुल राशि 1 (एक) रू0 का तावान आरोपित किया जाता है । उक्त अतिक्रमण को हटाने, अतिक्रमी को मौके से बेदखल करने तथा कब्जा बहक सरकार लेने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त बीकानेर तथा पटवारी प0ह0 गंगाशहर को आदेश दिया जाता है। अतिक्रमी को राजकीय गै0मु0 गोचर भूमि से बेदखल करने तथा कब्जा बहक सरकार लेने हेतु निरीक्षक/हल्का पटवारी को लिखा जावे तथा तावान वसूली बाबत् पटवारी हल्का एवं मांग कायमी के लिये टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.19 को खुली अदालत में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम की जावे।

नायब तहसीलदार(राजस्व)
बीकानेर

Scanned by CamScanner